संख्या: 12 / 2016/2228 जे0/22-5-16-1100(30)2010

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक 09 नवम्बर ,2016**

विषय- विचाराधीन बन्दियों की पुलिस अभिरक्षा में पेशी के दौरान हो रहे पलायन को रोकने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के उपर्युक्त विषयक पत्र संख्या-2108जे0/22-5-16-1100(30)2010, दिनांक 24-10-2016 के क्रम में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-डी0जी0-परिपत्र 61,2016, दिनांक 03-11-2016(छायाप्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा पेशी के दौरान विगत समय में पुलिस अभिरक्षा में विचाराधीन बन्दियों के पलायन की घटनाओं के परिप्रेक्ष्य पर्याप्त सावधानी बरतने हेतु निर्देश जारी किये गये है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बीमार बन्दियों को कारागार के चिकित्सालय से बाहर उपचार कराने, इन्हें अन्य जनपदों के कारागार में स्थानान्तरित किये जाने एवं मा0 न्यायालय में पेशी पर ले जाने के समय सावधानी बरतने हेतु पुलिस महानिदेशक के उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देश महत्वपूर्ण एवं पलायन रोकने हेतु अत्यन्त उपयोगी है। अत: कृपया उक्त पत्र में उल्लिखित निर्देशों, जेल मैनुअल के संगत प्राविधानों एवं समय समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए अपने स्तर से कारागार विभाग के समस्त अधिकारियों को यथोचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:12 /2016 / 2228जे0(3)/22-5-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, गृह विभाग।

2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, 1-बी0एन0लहरी मार्ग, लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक 03-11-2016 के क्रम में।

3- समस्त जिलाधिकारी/समस्त मण्डलायुक्त।

4- गार्ड फाईल।

संलग्नक यथोक्त।

आज्ञा से,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।